

बिहार सरकार, कृषि विभाग

संकल्प

07/जैविक/06/2013-3414 पटना, दिनांक 16/12/2014

बिहार में जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी, पटना एवं उत्तराखण्ड राज्य जैविक प्रमाणन एजेन्सी, देहरादून के बीच एकरारनामा (Agreement) करने की स्वीकृति।

जैविक/टिकाऊ खेती कृषि रोड मैप (2012-17) का एक अभिन्न अंग है तथा इसमें जैविक प्रमाणीकरण एक प्रमुख घटक है। बिहार राज्य के अधिकांश क्षेत्रों की मिट्टी एवं जलवायु जैविक खेती के अनुकूल है। बिहार में कृषक/उत्पादक समूहों द्वारा जैविक खेती किया जा रहा है परन्तु राज्य में उत्पादित जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु कोई सरकारी अथवा गैर सरकारी एजेन्सी कार्यरत नहीं है। फलस्वरूप प्रमाणीकरण का कार्य पूर्णतः निजी क्षेत्र के वाह्य एजेन्सियों पर निर्भर है। इस कारण से ससमय प्रमाणीकरण नहीं होने के साथ-साथ कृषक/उत्पादक समूहों को शुल्क के रूप में काफी राशि खर्च करनी पड़ती है।

राज्य में सामान्यतः छोटे, मध्यम एवं कम जोतवाले तथा आर्थिक रूप से कमजोर कृषक/उत्पादक समूहों को प्रोत्साहित करने, प्रमाणन लागत मूल्य कम करने तथा जैविक उत्पादन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा एक स्वतंत्र एजेन्सी का गठन किया जा रहा है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के खण्ड 4 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रमाणीकरण एजेन्सी को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार (Agricultural and Processed Food Product Export Development Authority) से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। जबतक बिहार में जैविक प्रमाणन एजेन्सी का विधिवत गठन नहीं होता है तबतक जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण का दायित्व बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी को सौंपा गया है।

बिहार में जैविक खेती एवं जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :-

जबतक बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी/प्रस्तावित बिहार राज्य जैविक प्रमाणन एजेन्सी, पटना को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार (Agricultural and Processed Food Product Export Development Authority) से मान्यता प्राप्त नहीं होती है तबतक बिहार में जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण का कार्य उत्तराखण्ड राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेन्सी, देहरादून के माध्यम से किया जाएगा। जैविक प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम में अंकित नियमावली के अनुसार संयुक्त रूप से निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण कराने सम्बंधी कार्य उपर्युक्त दोनों संस्थाओं द्वारा

बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी
पटना

ADP
22-12-14
IT Manager
Pi. Inland at
dept. website
By ash
26/12

1882
23/12/14

मिलकर किया जाएगा। इन कार्यों के सम्पादन के लिए उत्तराखण्ड राज्य जैविक प्रमाणन एजेन्सी, देहरादून प्रमाणन कार्य के आवश्यकता के अनुरूप जैविक प्रमाणन निरीक्षक, मूल्यांकक एवं गुणवत्ता प्रबंधक पदाधिकारियों को बिहार के मुख्यालय, पटना में रखेगी तथा बिहार सरकार, कृषि विभाग के द्वारा उन्हें कार्यालय खोलने में सहयोग किया जाएगा। उत्तराखण्ड राज्य जैविक प्रमाणन एजेन्सी, देहरादून द्वारा बिहार राज्य के कर्मियों को प्रमाणीकरण सम्बंधी निपुणता विकसित की जाएगी। प्रस्तावित बिहार राज्य जैविक प्रमाणन एजेन्सी के विधिवत गठन होने तथा एपीडा से मान्यता प्राप्त होने तक उपर्युक्त सभी कार्य उत्तराखण्ड राज्य जैविक प्रमाणन एजेन्सी, देहरादून के माध्यम से सम्पादित किये जाएंगे।


- ii. उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी/प्रस्तावित बिहार राज्य जैविक प्रमाणन एजेन्सी, पटना एवं उत्तराखण्ड राज्य जैविक प्रमाणन एजेन्सी, देहरादून द्वारा बिहार के जैविक प्रक्षेत्रों के संयुक्त रूप से निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण सम्बंधी कार्यों के सम्पादन के लिए एक एकरारनामा तैयार किया गया है जो अनुसूची-1 के रूप में संलग्न है जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है।
- iii. उत्तराखण्ड राज्य जैविक प्रमाणन एजेन्सी, देहरादून द्वारा निर्धारित शुल्क दर पर निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण का कार्य किया जाएगा जो एकरारनामा की अनुसूची-1 के रूप में संलग्न है। प्रगतिशील किसानों/ उत्पादक समूहों से प्राप्त होनेवाली शुल्क राशि का 60% उत्तराखण्ड राज्य जैविक प्रमाणन एजेन्सी द्वारा रखा जाएगा तथा शेष 40% राशि बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी/ प्रस्तावित बिहार राज्य जैविक प्रमाणन एजेन्सी को उनके द्वारा दी जाएगी। यह शुल्क की राशि सरकारी योजनामद में प्रमाणीकरण के लिए उपलब्ध राशि से समायोजित होगी अथवा सीधे सम्बंधित किसान/उत्पादक/समूह द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य सरकार, कृषि विभाग द्वारा इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि सेवा शुल्क के रूप में वहन नहीं की जाएगी।
- iv. उपर्युक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका 07/जैविक/06/2013 के पृष्ठ संख्या 32/टि0 पर दिनांक 14.10.2014 को प्राप्त है।
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।


बिहार राज्य जैविक प्रमाणन एजेन्सी
पटना

(विश्वनाथ चौधरी)
सरकार के अपर सचिव, कृषि
विभाग, बिहार (प्रमाणन)
संयुक्त निदेशक (प्रमाणन)
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

ज्ञापांक 07/जैवि/06/2013-3414 दिनांक 16/12/2014/


प्रतिलिपि :- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/ कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ प्रधान सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड, (देहरादून)/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ उद्यान निदेशक, बिहार, पटना/ कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड, (देहरादून)/ निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य जैविक प्रमाणन एजेन्सी, (देहरादून)/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक
बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी
पटना


(विश्वनाथ चौधरी)
सरकार के अपर सचिव, कृषि
विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक 07/जैवि/06/2013-3414 दिनांक 16/12/2014/


प्रतिलिपि :- निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक, उपयोगी अनुसंधान, बिहार, पटना/ सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/ उप निदेशक, कम्पोष्ट, बिहार, पटना/ उप निदेशक, बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/ उप निदेशक, बीज विश्लेषण, बिहार, पटना/ सभी जिला कृषि पदाधिकारी/ सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/ सभी परियोजना निदेशक, आत्मा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक
बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी
पटना


(विश्वनाथ चौधरी)
सरकार के अपर सचिव, कृषि
विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक 07/जैवि/06/2013-3414 दिनांक 16/12/2014/

प्रतिलिपि :- उप कृषि निदेशक, सूचना, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


निदेशक
बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी
पटना


(विश्वनाथ चौधरी)
सरकार के अपर सचिव, कृषि
विभाग, बिहार, पटना

अनुसूची- 01

AGREEMENT

This AGREEMENT is entered on this the –
Day of –2014 at Patna (Bihar) between

Bihar State Seed Certification Agency, Patna
(Government of Bihar Undertaking)

Mithapur Agriculture Farm, Patna – 800 001

Represented by its Director, Mr. GANESH RAM

Be
निदेशक
बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी
पटना

(Here in after referred to as "**FIRST PARTY**" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof, mean and include its representatives, successors-in title and assigns) of the "**FIRST PARTY**",

AND


Uttarakhand State Organic Certification Agency (USOCA)

No. 12/11, Vasanth Vihar, Deharadun- 248 006

Represented by its Director, Smt. Damyanti Rawat

(Here in after referred to as the "SECOND PARTY", which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, mean and include its representatives administrators and assigns) of the SECOND PARTY.

Whereas, presently the FIRST PARTY is Bihar State Seed Certification Agency (Govt. of Bihar Undertaking), Patna But later on Bihar State Organic Certification Agency after its legal constitution will be the FIRST PARTY which is at present waiting for the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) Accreditation and it is


निदेशक
बिहार राज्य वॉज प्रमाणन एजेन्सी
पटना

